संख्या–5051 /71–2–16–एन–8/2016

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

विषयः– मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा संचालित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं0 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयड़ा, गौतमबुद्व नगर में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण में सीट वृद्वि हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7828/2016 दिनांक 17.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा संचालित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं0 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयड़ा, गौतमबुद्व नगर में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण में 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण–पत्र /अनापत्ति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों/मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
5. यदि ट्रस्ट/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के नाम 12.50 एकड़ से अधिक भूमि है, उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 सपठित उ0प्र0 जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन की अनुमति प्राप्त करेंगे।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्या– 5051 (1)/71–2–16–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नर्सिंग कांउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा संचालित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, प्लाट नं0 41, नॉलेज पार्क–3, ग्रेटर नोयड़ा, गौतमबुद्व नगर में।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।